ऋण स्वीकृत करवा कर गरीब ड्राइवरों एवं नवयुवकों की जिन्दगी की कमाई हुई राशि उस में सम्मिलित करवा कर बैंकों एवं वित्त निगम के यहां वाहनों को प्लेज करवा कर वाहन उपलब्ध कराये । उक्त वाहनों की भार क्षमता कम होते हुए भी अधिक भार क्षमता होने की गलत तरीके से प्रमाणित करवाया और इस प्रकार ज्यों ही वाहन सड़क पर चले लगभग सभी वाहन एक साल की अवधि में ही बेकार हो गये और सड़क पर चलने योग्य नहीं रहे। इसके फलस्वरूप सैकड़ों नवयुवकों एवं ड्राइवरों द्वारा उक्त वाहनों के लिए किया हुआ नियोजन फेल हो गया है और उनके द्वारा बैंकों व वित्त निगमों से एक वाहन पर करीब डेढ़ लाख रूपये की राशि ऋण के रूप में जो कर्ज ली गई उसके न चुकाये जाने से बैंकों द्वारा सैकड़ों मुकदमें उक्त राशि की वसूली के लिए कर दिये गये हैं। उदाहरणार्थ स्वर्गवासी मैनानी श्री अब्दुल गफूर ने उक्त वाहन खरीदने के लिए एक लाख छत्तीस हजार रुपये कर्ज लिये जिसमें से 38,000 रुपये की राशि की किश्तें चुकाने के बावजूद वाहन बिलकुल बेकार होने जाने से लोहे के स्क्रेप के रूप में पड़ा है जिसकी कीमत अब केवल 10,000 रुपये तक ही है परन्तु ए०सी०बी० बी० जे० रायपुर ने श्री अब्दुल गफूर पर दो लाख बीस हजार का दावा वसूली के लिए दायर किया है इससे वाहन मालिक को बहुत परेशानी हो गई है और उनकी मुक्ति इस स्थिति से किस प्रकार होगी यह एक गंभीर एवं विचारणीय प्रश्न है । उपरोक्त वाहनों के इंजिन एवं अन्य संयंत्रों की शिकायत होने पर भारत सरकार ने उक्त कम्पनी द्वारा निर्मित वाहनों के वर्मशियल उत्पादन की जांच हेतु एक उच्चस्तरीय जांच समिति नियुक्त की थी और उक्त समिति ने भी सितम्बर, 1972 में भारत सरकार को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके अनुसार हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड द्वारा उत्पादन किये गये वाहनों को बिलकुल खराब बताया है और उक्त वाहनों में पचासों कमियों का दिग्दर्शन कराया है।

हिन्दुस्तान मोटर्स, कलकत्ता द्वारा निर्मित वाहन लगभग 100 प्रतिशत फेल हो जाने का तकनीकी कारण ही है और वाहन मालिकों का इस में कोई दोष नहीं है। स्थिति यह हो गई है कि बैंकों ने उक्त वाहन पर ऋण देना एवं बीमा कम्पनियों ने बीमा करना बन्द कर दिया है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की करोड़ों की राशि एक ओर बिलकुल बेकार हो गई है और दूसरी ओर वाहन ड्राइवर से मालिक बनने के चक्कर में खरीद किये गये वाहनों के नवयुवक खरीददारों का भी सर्वस्व लुट चुका है और वे दाने दाने के लिए मोहताज हो गये हैं । इसी प्रकार राज्य सरकारें भी उक्त वाहन के खरीदने के फलस्वरूप भारी आर्थिक हानि की शिकार हुई है । उपरोक्त समस्या लोक महत्व की है अत : मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान मोटर कम्पनी, कलकत्ता की निर्मित वाहनों के खरीददारों के विरुद्ध बैंकों वित्त निगमों द्वारा दायर किये गये वाद एवं वसूली की कार्यवाही तुरंत प्रभाव से स्थगित कराई जाये एवं बैंकों को इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जायें। सरकार द्वारा मध्यस्थता कर न्यायालय में चल रहे वादों का समुचित निर्णय कराया जाये। सरकार द्वारा सन् 1972 में उक्त कम्पनी के वाहनों के सम्बन्ध में नियुक्त की गई जांच समिति की रिपोर्ट में दिये गये निर्देशों का पालन कराया जाये एवं अब तक जिन व्यक्तियों द्वारा पालना नहीं की गई है उन के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायें एवं गरीब खरीददारों को अविलम्ब राहत पहुंचाई जाये ।

REFERENCE TO OUTBREAK OF MENINGITIS IN DELHI

श्री रामचन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाने की इजाजत दी है । 13 तारीख की अखबार में एक खबर है कि दिल्ली में 60 मौतें मष्तिष्क ज्वर से हो चुकी है । हजारों आदमी मष्तिष्क ज्वर से दिल्ली में बीमार है। यह इतनी तेजी से बढ़ रहा है दिल्ली में कि पड़ोसी राज्यों में भी इसका प्रभाव होने

[श्री रामचन्द्र विकल]

जा रहा है । मैं स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यान इस प्रश्न के द्वारा इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि दिल्ली में मस्तिष्क ज्वर से होने वाली मौतों को तुरंत रोकें और साथ ही दिल्ली के अलावा जो पड़ौसी राज्य हैं, हरियाणा यू०पी० राजस्तान उनमें फैलने की जो आशंका हो गयी है इसको रोकने के लिए जो भी उपाय हो वे करें चाहें टीका लगाकर रोकें डाक्टरों को घरों में भेजने से रुकता हो तो रोकें दवाओं से रुकता हो तो उससे रोकें। बीमारी की रोकथाम का जो कोई भी उपचार हो उसको केन्द्रीय सरकार और हेल्थ विभाग जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करे, दिल्ली और उसके आस्पास ताकि वो जो मौतें हो रही है न हों और बहुत तादाद में लोगों का जनजीवन बचाया जा सके । यही मैं केन्द्रीय सरकार से मांग करता हूं ।

श्री प्रवीण कुमार प्रजापति (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, मैं अपने इस विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार और खास तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय का ध्यान, दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में मेनिनजाइटीज नामक रोग के प्रकोप की ओर दिलाना चाहता हूं। श्रीमन्, यह रोग दो प्रकार का है एक जो मष्तिक पर प्रभाव डालता है और दूसरा रक्त-प्रवाह पर । पिछले वर्ष यह रोग फैला था जिससे कई लोगों की जानें चली गयी जिनमें जयप्रकाश नारायण अस्पताल का एक युवा डाक्टर भी था । इस वर्ष जनवरी से अब तक केवल सफदरजंग हास्पिटल में ही 36 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। जे०पी० हास्पिटल में फरवरी में 170 रोगियों को दाखिल किया गया जिनमें से 29 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी । इस रोग से मरने वाले 65 लोगों में 26 बच्चे थे । अकेले सफदरजंग में 1 जनवरी से 10 मार्च तक मेनिनजाइटीज के 217 रोगी आये जिनमें बच्चों की संख्या 82 है । श्रीमन्, इस रोग की वैक्सीन आयात करनी पडती है इसलिए वह काफी महंगी है । केवल एक एम्प्यूल की कीमत 25 रुपये है । श्रीमन इस रोग के लक्षण हैं---बहुत तेज बुखार गले में खराश गर्दन का ऐंठना सरदर्द और मितली आना इस रोग की पहचान के लिए कल्चर टैस्ट जरूरी है तभी यह पता लगता है कि यह किस प्रकार का मेनिनजाइटीज है ।

श्रीमन, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह रेडियों, टेलीविजन और दूसरे सभी माध्यमों से जनता को इस रोग के बारे में बताये ताकि वे अपना समय पर उपचार करा लें। अन्यथा इस जानकारी के बिना, लोग सिरदर्द गले का दर्द और बुखार की दवा बिना डाक्टर को दिखाये खुद ही ले लेते हैं जिससे रोग बढ जाता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है । लोगों को इन माध्यमों के जरिये यह बताया जाना चाहिए कि यदि उन्हें ऐसे लक्षण दिखाई दें तो वे तुरंत किसी बडे अस्पताल में अपनी जांच करायें । श्रीमन् सरकार ने एक स्वास्थ्य नीति बनाई है। मैं चाहता हूं कि इस नीति के अंतर्गत यह अनिवार्य कर दिया जाये कि लोग समय-समय पर अपने स्वास्थ्य परीक्षा करायें जिससे यदि उनके अंदर रोग पनप रहा हो उसका समय रहते इलाज किया जा सके। धन्यवाद ।

REFERENCE TO THE DELAY IN THE GRANT OF PENSIONS TO FREEDOM FIGHTERS

श्री शान्ति त्यागी (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, मेरा स्पेशल मेन्शन देश के फ्रंडम फाइटर्स की एक समस्या के बारे में है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया । मान्यवर समस्या यह है कि हजारों की तादाद में ऐसे फ्रंडम फाइटर्स मौजूद हैं जिन्हें अभी तक केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन नहीं मिल पाई है ऐसे भी हैं जिन्हें राज्य सरकारों की पेंशन नहीं मिल पाई है। ऐसे वयोवृद्ध देशभक्त बराबर लिखा पढ़ कर रहे हैं, राजधानियों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनके पेंशन के प्रपत्रों पर निर्णय नहीं हो सका है। इसके लिए बड़े अधिकारी, अफसरान जिम्मेदार हैं । इस सदन में गृह मंत्री जी ने मेरे अनस्टार्ड क्वेश्चन के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि 31 जनवरी,